वर्ष 2025—26 एवं आगे की अवधि में निगम के माध्यम से संकर सब्जी बीज (Hybrid Vegitable Seed) के प्रदाय हेतु रेट कांट्रेक्ट ऑफर (RCO) के अंतर्गत योग्य ऑफरकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों पर अनुशंसा किये जाने हेतु "वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन और विश्लेषण समिति" की द्वितीय बैठक दिनांक 14.07.2025 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 14.07.2025 को विषयांतर्गत समिति की बैठक एम.पी.एग्रो इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि. के तृतीय तल स्थित महाप्रबंधक के कक्ष में प्रातः11.00 बजें आयोजित हुई, बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहें :—

1.	श्री एस.के. विधान	महाप्रबंधक, एम.पी.एग्रो	अध्यक्ष
2.	डॉ. एम यसीन	अधिष्ठाता, आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय सीहोर	सदस्य
3.	श्री के.पी. नागिया	वित्त नियंत्रक, एम.पी.एग्रो	सदस्य
4.	श्री मनोज जैन	प्रबंधक, विधि, एम.पी.एग्रो	सदस्य
5.	डॉ. राहुल बनसोड	प्रबंधक, उद्यानिकी, एम.पी.एग्रो	सदस्यसचिव
6.	श्री जे.पी. कोल्हेकर	उप. संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	सदस्य — अनुपस्थित
7.	श्री अशोक मिश्रा	वरि.ग्रा.उ.वि.अधि., उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	सदस्य
8.	श्री दीनानाथ घोटे	वरि.ग्रा.उ.वि.अधि., उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	सदस्य
9.	सुश्री बुशरा खान	चार्टर्ड एकाण्टेन्ट, एम.पी.एग्रो	सदस्य

कार्यवाही का संक्षेप :—

1. **सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुतिकरण**

सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विषयांतर्गत रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों का परीक्षण "तकनीकी प्रस्ताव मूल्यांकन समिति" द्वारा दिनांक 17.03.2025 को किया गया था।

तकनीकी समिति ने परीक्षण के उपरांत कुछ ऑफरकर्ताओं को तकनीकी रूप से पात्र पाया एवं उनके वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने की अनुशंसा की।

2. **तकनीकी समिति की अनुशंसा पर कार्यवाही**

सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि "तकनीकी प्रस्ताव मूल्यांकन समिति" की बैठक दिनांक 17.03.2025 में लिए गए निर्णयों एवं अनुशंसाओं पर नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त कर निम्नानुसार कार्यवाही की गई है :—

अ. तकनीकी रूप से पात्र ऑफरकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले गए।
ब. शेष प्रक्रिया के तहत अनुबंध संपादन पूर्व की औपचारिकताएं शेष हैं।

समिति अध्यक्ष द्वारा यह पूछा गया कि तकनीकी प्रस्ताव दिनांक 17.03.25 को तथा वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 27.06.25 को खोले जाने से अत्याधिक विलंब हुआ तथा आरसीओ की निविदा में दरों की वैद्यता 90 दिन निर्धारित है, जिसके सम्बन्ध में समिति द्वारा निम्नानुसार निर्देशित किया गया :—

2.1. भविष्य में तकनीकी प्रस्ताव खोलने के पश्चात एक सप्ताह एवं वित्तीय प्रस्ताव एक सप्ताह में खोले जावें एवं वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने पश्चात अधिकतम एक सप्ताह में दरों का प्रसारण किया जाये ।

2.2. जो भी आवश्यक प्रपत्र प्रस्ताव आरसीओ अंतर्गत आवश्यक है, उन्हें आरसीओ में भाग लेते समय ही पूर्ण किये जाने हेतु समुचित निर्देश प्रसारित किये जाये । साथ ही इस सम्बन्ध में समस्त ऑफरकर्ताओं को सूचित किया जावे एवं इसका उल्लेखआरसीओ प्रपत्र में किया जावे । पूर्व में विलंब के संबंध में अप्रसन्नता प्रकट की है ।

2.3. दरों के प्रसारण में अत्यधिक विलंब हो चुका है तथा दरों में अंतर भी अधिक प्रतीत होता है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा गतवर्ष की अनुमोदित दर को आधार मानते हुए प्रदायकों को पूर्व मे प्रसारित दर अथवा नवीन दर में से जो भी कम हो के अनुरूप पुनः अनुबंध किये जाने की अनुशंसा करती है ।

2.4. जिन ऑफरकर्ताओं की दरें पूर्व में अनुमोदित नहीं है, उन्हें गतवर्ष या इस वर्ष की न्यूनतम दर का प्रस्ताव दिए जाने हेतु समिति अनुशंसा करती है ।

2.5. हायब्रिड वेजीटेबिल बीजों के सम्बन्ध में प्रायः यह देखा जा रहा है कि प्रदायक द्वारा अपने बिलों को proprietory itemकी संज्ञा देते हुए अपने मनमर्जी से दर प्रस्तुत की जाती है तथामध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा. उपार्जन नियम–2015 (यथा संशोधित 2022)के अनुसार L1+15प्रतिशत का clauseभी applicable नहीं हो पाता है अतः समिति यह अनुशंसा करती है कि भविष्य में जारी किए जाने वाले RCO में प्रत्येक बीज की अधिकतम तीन वैरायटी की shelf life, size of fruit, crop yield per acreको दृष्टिगत रखते हुए दरों को प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक प्रावधान किये जावे, जिससे मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा. उपार्जन नियम–2015 (यथा संशोधित 2022)का पालन भी किया जा सके ।

3. सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि "तकनीकी प्रस्ताव मूल्यांकन समिति" की बैठक दिनांक 17.03.2025 की अनुशंसाओं पर अनुमोदन प्राप्त कर निम्नानुसार कार्यवाही की गई है।सदस्य सचिव ने यह भी बताया कि :–

- तकनीकी समिति की अनुशंसा पर की गई कार्यवाही की जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।
- समिति की कुछ अनुशंसाओं में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
- तथा कुछ प्रस्तावों का पुनः परीक्षण/पुनर्विचार किया जाना अपेक्षित है, ताकि अंतिम अनुबंध निष्पादन पूर्व सभी पहलुओं का परीक्षण सुनिश्चित हो सके।

क्रं.	विवरण	समिति की अनुशंसा
1	**ARUNA ENTERPRISES, BHOPAL**	
	1.1 तकनीकी समिति के कार्यवाही विवरण की अनुशंसा भाग के बिंदु 1 एवं 2 के अनुसार, ऑफरकर्ता को अनुबंध निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :– • Breeder certificate and Morphological characteristics	प्राप्त।
	1.2 तकनीकी समिति के कार्यवाही विवरण के बिंदु 12 के अनुसार, मुख्यालय के पत्र क्रमांक 646 दिनांक 30.05.2025 के माध्यम से ऑफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत "ट्रायल रिपोर्ट" की पुष्टि हेतु निदेशक, अनुसंधान सेवाएं, J.N.K.V.V., जबलपुर को पत्र भेजा गया। विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक PS-145 दिनांक 13.06.2025 से ट्रायल रिपोर्ट की पुष्टि की गई है। संबंधित दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं।	समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है कि विश्वविद्यालय द्वारा ट्रायल रिपोर्ट की पुष्टि कर दी गई है, अतः दर को विचार क्षेत्र में लिया जाए।
	1.3 तकनीकी समिति के कार्यवाही विवरण में Director Research Services के पत्र क्रमांक 962 दिनांक 19.02.2025 का उल्लेख करते हुए बताया गया कि "Tomato and Hot Pepper Hybrid Seeds" का परीक्षण विश्वविद्यालय में प्रचलन में है। हालांकि, ऑफरकर्ता ने स्वयं दिनांक 11.06.2025 को ट्रायल रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त ट्रायल रिपोर्ट की पुष्टि हेतु मुख्यालय के पत्र क्रमांक 1077 दिनांक 01.07.2025 से J.N.K.V.V., जबलपुर को पत्र भेजा गया है, जिसकी पुष्टि रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। संबंधित दस्तावेज समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	
2	**ARUNA SEEDS, BHOPAL**	
	2.1 तकनीकी समिति के कार्यवाही विवरण के बिंदु 12 के अनुसार, मुख्यालय के पत्र क्रमांक 646 दिनांक 30.05.2025 के माध्यम से ऑफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत "ट्रायल रिपोर्ट" की पुष्टि हेतु निदेशक, अनुसंधान सेवाएं, J.N.K.V.V., जबलपुर को पत्र भेजा गया। विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक PS-145 दिनांक 13.06.2025 से ट्रायल रिपोर्ट की पुष्टि की गई है। संबंधित दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं।	समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है कि विश्वविद्यालय द्वारा ट्रायल रिपोर्ट की पुष्टि कर दी गई है, अतः दर को विचार क्षेत्र में लिया जाए।

क्रं.	विवरण	समिति की अनुशंसा
3	**BAPNA SEEDS, KHARGONE**	
	3.1 तकनीकी समिति के कार्यवाही विवरण के बिंदु 12 के अनुसार, मुख्यालय के पत्र क्रमांक 648 दिनांक 30.05.2025 के माध्यम से ऑफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत "ट्रायल रिपोर्ट" की पुष्टि हेतु निदेशक, अनुसंधान सेवाएं, R.V.S.V.V., ग्वालियर को पत्र भेजा गया। विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 927 दिनांक 30.06.2025 से ट्रायल रिपोर्ट की पुष्टि की गई है। संबंधित दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं।	समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है कि विश्वविद्यालय द्वारा ट्रायल रिपोर्ट की पुष्टि कर दी गई है, अतः दर को विचार क्षेत्र में लिया जाए।
	3.2 तकनीकी समिति के कार्यवाही विवरण की अनुशंसा भाग के बिंदु 4 के अनुसार, ऑफरकर्ता से अनुबंध निष्पादन के समय वैध बीज विक्रय लाइसेंस प्राप्त करने की अनुशंसा की गई थी। परंतु तत्कालीन प्रबंधक (उद्यानिकी) द्वारा समिति की अनुशंसा से विपरीत, कार्यालय पत्र क्रमांक 629 दिनांक 28.05.2025 के माध्यम से संबंधित ऑफरकर्ता को 05 दिवस में नवीन बीज विक्रय लाइसेंस अथवा लाइसेंस की बढ़ी हुई वैधता अवधि प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि समय–सीमा में जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर RCO की शर्तों के अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी।	ऑफरकर्ता ने वैध बीज लायसेंस की प्रति उपलब्ध करा दी है, अतः दर को विचार क्षेत्र में लिया जाए।
4	**MS SEED WORKS INTERNATIONAL PVT LTD., TELANGANA**	
	4.1 तकनीकी समिति के कार्यवाही विवरण के बिंदु 12 के अनुसार, मुख्यालय के पत्र क्रमांक 648 दिनांक 30.05.2025 के माध्यम से ऑफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत "ट्रायल रिपोर्ट" की पुष्टि हेतु निदेशक, अनुसंधान सेवाएं, R.V.S.V.V., ग्वालियार को पत्र भेजा गया। विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 927 दिनांक 30.06.2025 से ट्रायल रिपोर्ट की पुष्टि की गई है। संबंधित दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं।	समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है कि विश्वविद्यालय द्वारा ट्रायल रिपोर्ट की पुष्टि कर दी गई है, अतः दर को विचार क्षेत्र में लिया जाए।
5	**MARKFIELD HYDBRID SEEDS, JALANA**	
	5.1 तकनीकी समिति के कार्यवाही विवरण के बिंदु 12 के अनुसार, मुख्यालय के पत्र क्रमांक 646 दिनांक 30.05.2025 के माध्यम से ऑफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत "ट्रायल रिपोर्ट" की पुष्टि हेतु निदेशक, अनुसंधान सेवाएं, J.N.K.V.V., जबलपुर को पत्र भेजा गया। विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक PS-145दिनांक 13.06.2025 से ट्रायल रिपोर्ट की पुष्टि की गई है। संबंधित दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं।	समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है कि विश्वविद्यालय द्वारा ट्रायल रिपोर्ट की पुष्टि कर दी गई है, अतः दर को विचार क्षेत्र में लिया जाए।
6	**ROXHARTD AGRIORGENIC, BHOPAL**	
	6.1 समिति के कार्यवाही विवरण के बिंदु 9 के अनुसार, ऑफरकर्ता के बीज विक्रय लाइसेंस में टमाटर, कद्दू, लौकी, बैंगन एवं भिंडी बीज प्रजातियों का उल्लेख नहीं है। इस स्थिति को अनुबंध निष्पादन के पूर्व स्पष्ट कराए जाने की अनुशंसा की गई थी। तदनुसार, प्रबंधक (उद्यानिकी) द्वारा मुख्यालय के पत्र क्रमांक 628 दिनांक 28.05.2025 से ऑफरकर्ता को 05 दिवस में स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। सदस्य सचिव डॉ. राहुल बनसोड द्वारा इस संबंध में ऑफरकर्ता से दूरभाष पर चर्चा की गई। ऑफरकर्ता ने अवगत कराया कि उन्हें उक्त पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।	ऑफरकर्ता ने बीज विक्रय लाइसेंस, जिसमें उपरोक्त प्रजातियों का उल्लेख की प्रति उपलब्ध करा दी है, अतः दर को विचार क्षेत्र में लिया जाए।
7	**SONA GENETICS PVT LTD., AHMEDABAD**	
	7.1 तकनीकी समिति के कार्यवाही विवरण में कम्पनी का नाम **Sona Seeds** लिखा गया है, जबकि वह इस कम्पनी का ब्राण्ड उत्पाद है।	समिति अवगत हुई।

क्रं.	विवरण	समिति की अनुशंसा
	7.2 तकनीकी समिति के कार्यवाही विवरण के बिंदु 12 के अनुसार, मुख्यालय के पत्र क्रमांक 648 दिनांक 30.05.2025 के माध्यम से ऑफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत "ट्रायल रिपोर्ट" की पुष्टि हेतु निदेशक, अनुसंधान सेवाएं, R.V.S.V.V., ग्वालियर को पत्र भेजा गया। विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 927 दिनांक 30.06.2025 से ट्रायल रिपोर्ट की पुष्टि की गई है। संबंधित दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं।	समिति ने अनुशंसा की कि चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा ट्रायल रिपोर्ट की पुष्टि कर दी गई है, अतः इस बिंदु पर अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही की जा सकती है।
	7.3 ऑफरकर्ता द्वारा Tomato-Sona 505 के संबंध में निदेशक, अनुसंधान सेवाएं, R.V.S.V.V., ग्वालियर का पत्र 749 दिनांक 26.06.2024 की प्रति अपलोड की गई है, जिसमे इस वैरायटी की ट्रायल कण्डक्ट किये जाने हेतु लेख किया है। तकनीकी समिति के कार्यवाही विवरण में इसका उल्लेख है।	दस्तावेज नस्ती में संलग्न है।
	7.4 ऑफरकर्ता द्वारा BOQ में बीज एवं उसकी दरों की जानकारी दी गई थी, लेकिन वैरायटी की जानकारी का उल्लेख नहीं था, जिसके कारण वैरायटीवार दरों के निर्धारण कठिनाई आती है। प्रबंधक उद्यान द्वारा संबंधित फर्म से चर्चा कर उनसे वैरायटी की जानकारी ली गई है, जो समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	दर को विचार क्षेत्र में लिया जाए।
8	**SURAJ CROPSCIENCE LTD., GUJARAT**	
	8.1 तकनीकी समिति के कार्यवाही विवरण की अनुशंसा भाग के बिंदु 1 एवं 2 के अनुसार, ऑफरकर्ता को अनुबंध निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। • उत्पादक कम्पनी का Board Resolution with Authority Letter, • Breeder certificate and Morphological characteristics	प्राप्त हुए।
	8.2 तकनीकी समिति के कार्यवाही विवरण के बिंदु 12 के अनुसार, मुख्यालय के पत्र क्रमांक 648 दिनांक 30.05.2025 के माध्यम से ऑफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत "ट्रायल रिपोर्ट" की पुष्टि हेतु निदेशक, अनुसंधान सेवाएं, R.V.S.V.V., ग्वालियर को पत्र भेजा गया। विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 927 दिनांक 30.06.2025 से ट्रायल रिपोर्ट की पुष्टि की गई है। संबंधित दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं।	समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है कि विश्वविद्यालय द्वारा ट्रायल रिपोर्ट की पुष्टि कर दी गई है, अतः दर को विचार क्षेत्र में लिया जाए।
	8.3 तकनीकी समिति के कार्यवाही विवरण के बिन्दु 11 के अनुसार– ऑफरकर्ता से वैध आर.एण्ड.डी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं ट्रायल रिपोर्ट प्रस्तुत हेतु 03 दिवस का समय प्रदाय दिया जाए। निर्धारित समयावधि में जानकारी प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में ऑफर को अमान्य किया जाए।	दस्तावेज नस्ती में संलग्न है, अतः दर को विचार क्षेत्र में लिया जाए।
	8.4 ऑफरकर्ता द्वारा दिनांक 29.04.2025 को मुख्यालय को पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें रा.वि.सि.कृ.वि. की टेस्टिंग ट्रायल रिपोर्टChili (SCMH 1401), Bitter Gourd (SBH 1323), Sponge Gourd (SCSH 1171), Water Melon (SCWH 1504), Okra (SCOH 1017), Bringal (SCBH 1551) & Tomato (SCTH 1455), Ridge Gourd (SCTH 1151) & Radish (SCRH 1022) बीजों की विभिन्न किस्मों) और दिनांक 31.03.2026 तक का वैध आर.एंड.डी. पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।	
9	**ASMI ENTERPRISES, BHOPAL**	
	9. सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व अनुशंसा के आधार पर विधिमत परीक्षण किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अस्मी इंटरप्राइजेस के पूर्व प्रकरण में उत्पादक कंपनी (नामधारी सीड्स) द्वारा अधिकृत अधिकारी पत्र Revoke किए जाने से अनुबंध निरस्त किया गया था, किंतु वर्तमान आरसीओ में उत्पादक कंपनी निर्मल सीड्स है, अतः पूर्व प्रकरण का प्रभाव इस आरसीओ पर नहीं पड़ेगा। विधिमत परीक्षण की प्रति समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।	समिति ने विधिमत परीक्षण में प्रस्तुत स्थिति से सहमति व्यक्त की गई।

क्रं.	विवरण	समिति की अनुशंसा
	9.2 तत्कालीन सदस्य सचिव ने ऑफरकर्ता द्वारा आरसीओ में अपलोड की गई आई.सी.ए.आर. की रिपोर्ट को पुष्टि हेतु डॉ. यासीन अधिष्ठाता, आर.ए.के कृषि महाविद्यालय सीहोर को मात्र मध्यप्रदेश के लिए अनुकूल है अथवा नहीं के बारे जानकारी चाही गई थी।	समिति द्वारा ऑफरकर्ता के प्रस्ताव का गहन परीक्षण उपलब्ध तकनीकी दस्तावेजों, भारत सरकार की अधिसूचना, आई.सी.ए.आर. वाराणसी के वार्षिक प्रतिवेदन तथा विषय विशेषज्ञों की टिप्पणियों के आधार पर किया गया। परीक्षण के दौरान निम्न तथ्य सामने आएरू 1. ऑफरकर्ता द्वारा आरसीओ में अपलोड की गई आई.सी.ए.आर. रिपोर्ट एवं भारत सरकार की अधिसूचना में वर्णित बीज प्रजातियों के दस्तावेजों में न तो उत्पादक कम्पनी (निर्मल सीड्स) और न ही ऑफरकर्ता के प्रमाणित हस्ताक्षर हैं। यह स्थिति दस्तावेजों की विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता पर प्रश्नचिह्न उत्पन्न करती है। 2. भारत सरकार की अधिसूचना में दर्ज अधिसूचित वैरायटी का उत्पादन उत्पादक कम्पनी (निर्मल सीड्स) द्वारा किये जाने का कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह प्रस्ताव की तकनीकी पात्रता के लिए गंभीर कमी है। 3. विषय विशेषज्ञों द्वारा आई.सी.ए.आर. वार्षिक प्रतिवेदन का विश्लेषण करने पर पाया गया कि इसमें प्रस्तावित वैरायटी "morphological characteristic"का स्पष्ट कोडिंग या विश्लेषण नहीं किया गया है। कोडिंग न होने के कारण इस वैरायटी का अध्ययन संभव नहीं है। 4. आई.सी.ए.आर. के रिपोर्ट्स से यह तथ्य स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रस्तावित वैरायटी मध्यप्रदेश के भौगोलिक एवं कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। तकनीकी समिति की दृष्टि में यह पुष्टि आरसीओ की शर्तों के अनुसार अनिवार्य है। 5. अस्पष्ट, अपूर्ण एवं अप्रमाणित रिपोर्टों के आधार पर प्रस्ताव को अनुमोदित करना न केवल तकनीकी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होगा बल्कि विधिक दृष्टि से भी नियमविरुद्ध है। ऐसी स्थिति में अनुबंध निष्पादन भविष्य में गंभीर विवाद एवं अनुबंध शर्तों के उल्लंघन का कारण बन सकता है। दूरभाष पर चर्चा में वे मुंबई में होने का कथन किया गया, जिससे आदिनांक तक उपरोक्त के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाणित सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया। समिति उपरोक्त सभी तथ्यों, तकनीकी विश्लेषण एवं विधिक दृष्टिकोण के आधार पर ऑफरकर्ता मैसर्स अस्मी इन्टरप्राईजेस, भोपाल के प्रस्ताव को अमान्य करती है।

क्रं.	विवरण	समिति की अनुशंसा
10	**NARMADA MARKETING, BHOPAL**	
	10.1 समिति की अनुशंसा के बिन्द 12. के अनुसार मुख्यालय के पत्र पत्र कं. 652 दिनांक 30.05.2025 के संचालक कृषि विज्ञान केन्द्र झाबुआ, पत्र कं. 751 दिनांक 0906.2025 से कृषि महाविद्यालय इंदौर एवं कं. 749 दिनांक 09.06.2025 से संचालक कृषि विज्ञान केन्द्र खण्डवा को ट्रायल रिपोर्ट की पुष्टि हेतु लिखा है। केवीके झाबुआ एवं कृषि महाविद्यालय इंदौर से उनका प्रत्युत्तर प्राप्त हो गया है। तत्कालीन सदस्य सचिव को केवीके खण्डवा को पत्र लिखा है जबकि Watermelon- Black Queen का ट्रायल बी. एम. कृषि विद्यालय, खण्डवा द्वारा किया गया है। इस प्रकार पत्र में भेजने में हुई त्रुटि के कारण केवीके खण्डवा से जबाव प्राप्त नहीं हुआ है। 10.1.1 समिति द्वारा नर्मदा मार्केटिंग के तकनीकी दस्तावेज का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि Sponsored by I & B Seeds प्रा.लि. की Tomato- Anand का ट्रायल कृषि विज्ञान केन्द्र झाबुआ में हुआ है और यह रिपोर्ट राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को पत्र कं. 187 दिनांक 12.07.2023 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। R.V.S.V.V. द्वारा उत्पादक को भेजी गई ट्रायल रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं है।	तकनीकी समिति के अनुमोदित अनुशंसा अनुसार परीक्षण रिपोर्ट संबंधित कृषि विश्वविद्यालय के संचालक (अनुसंधान) को भेजी जानी थी, जिससे विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा एवं सत्यापन के उपरांत प्रमाणित अंतिम रिपोर्ट जारी हो। परंतु, तत्कालीन सदस्य सचिव द्वारा यह निर्देशित प्रक्रिया न अपनाते हुए रिपोर्ट केवल कृषि महाविद्यालय/केवीके को भेजी गई। अतः समिति तत्कालीन सदस्यसचिव द्वारा तकनीकी समिति की अनुमोदित अनुशंसा का नियमानुसार परिपालन नहीं किये जाने के कारण समितिउनके द्वारा संपादित कार्यवाही का समर्थन नहीं करती है। महाप्रबंधक द्वारा समिति को आश्वस्त किया है कि प्रकरण को पृथक से प्रबंध संचालक महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
	10.1.2 समिति द्वारा नर्मदा मार्केटिंग के तकनीकी दस्तावेज का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि Sponsored by I & B Seeds प्रा.लि. की Chilli- CH 66 & Okra- BH 21 का ट्रायल कृषि महाविद्यालय इंदौर में हुआ है और यह रिपोर्ट राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को पत्र कं. 1028 दिनांक 05.07.2023 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। R.V.S.V.V. द्वारा उत्पादक को भेजी गई ट्रायल रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं है।	विषय विशेषज्ञों ने समिति को अवगत कराया कि कृषि महाविद्यालय एवं केवीके की रिपोर्ट केवल प्रारंभिक/ड्राफ्ट होती है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा एवं अनुमोदन के पश्चात ही परीक्षण रिपोर्ट विधिक और तकनीकी रूप से मान्य होती है।कृषि महाविद्यालय/केवीके की अंडर प्रोसेस रिपोर्ट को आरसीओ में प्रस्तुत करना और अनुबंध निष्पादन के लिए उपयोग करना तकनीकी एवं विधिक दृष्टि से पूर्णतः नियमविरुद्ध है।
	10.3.3समिति द्वारा नर्मदा मार्केटिंग के तकनीकी दस्तावेज का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि Sponsored by I & B Seeds प्रा.लि. की Watermelon- Black Queen का ट्रायल बी.एम. कृषि विद्यालय, खण्डवा में हुआ है और यह रिपोर्ट डॉ. एम.के. कुरील सहायक प्रोफेसर उद्यानिकी ने प्रोपर चेनल से कॉलेज के डीन को भेजा है और डीन द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को पत्र कं. 1130 दिनांक 12.07.2023 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। R.V.S.V.V. द्वारा उत्पादक को भेजी गई ट्रायल रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं है।	ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त न होने पर प्रस्तुत रिपोर्ट को मान्यता देना नियमों के विरुद्ध होगा।
	10.2नस्ती के अवलोकन से समिति को ज्ञात हुआ कि पूर्व आरसीओ में भी समिति ने Chilli- CH 66 & Okra- BH 21 की पुष्टि की अनुशंसा की गई थी, लेकिन विश्वविद्यालय से संबंधित कोई दस्तावेजीय प्रमाण नस्ती में संलग्न नहीं है।	आरसीओ दस्तावेज की परिशिष्ट–3 की बिन्दु–3 के अनुसार निजी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत रिसर्च किस्मों की "मध्यप्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट" आवश्यक है। विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण तकनीकी शर्तों का पालन नहीं हुआ है।
	10.5 सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष आरसीओ दस्तावेज, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा जारी पत्र प्रस्तुत किये गये – अ. मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय का पत्र कमांक बी–4/25/2011/14–2 दिनांक 21.07. 2011 जिसमे लेख है कि ''निजी उत्पाद कम्पनियों द्वारा उत्पादित रिसर्च किस्म को संकर बीजों का परीक्षण विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा''	समिति उक्त सभी तथ्यों एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरसीओ की शर्तों के अनुरूप दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने परे नर्मदा मार्केटिंग के प्रस्ताव को अमान्य करती है।

Bohra

	ब. मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय का पत्र कमांक बी–7–1/06/14–2 दिनांक 12 जनवरी, 2006 प्रस्तुत किया है, जिसमे लेख है कि "संकर सब्जी बीजों की नवीन किस्मो (वर्ष 2005–06 के पश्चात्) का परीक्षण एवं अनुशंसा कृषि विश्वविद्यालय से कराने के पश्चात् ही किया जाए" स. उपरोक्त शासनादेश के अनुसार आरसीओ दस्तावेज के परिशिष्ट 3 के बिन्दु 3 मे तकनीकी शर्त संस्थित है कि "निजी क्षेत्र के उत्पादक जिनके द्वारा रिसर्च किस्म का उत्पादन लिया गया है, ऐसी रिसर्च किस्म के संबंध में मध्यप्रदेश कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा जारी ट्रायल रिपोर्ट"।	

12. **दर संबंधित विवरण–**

12.1 समिति द्वारा प्राप्त सभी वैध और पुष्ट दस्तावेजों के आधार पर ऑफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरों का मूल्यांकन किया गया है। जिन बीज प्रजातियों के प्रमाण और ट्रायल रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालयों से मान्य और प्रमाणित हैं, उनकी दरों की अनुशंसा गई है। वहीं, जिन प्रजातियों के प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं अथवा जिनकी ट्रायल रिपोर्ट विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, उन प्रजातियों की दरों को विचार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इस प्रकार, अनुबंध निष्पादन के समय केवल मान्य और प्रमाणित प्रजातियों की दरें ही लागू होंगी।

12.2 सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि आरसीओ के प्रपत्र में बीज के नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है, परंतु संबंधित कॉलम में 'हाइब्रिड' बीज की वैरायटी के स्थान पर 'प्रोपराइटरी हाइब्रिड' का उल्लेख है। विषय विशेषज्ञ ने बताया कि हाइब्रिड बीज उत्पादन प्रत्येक कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है और यह उनकी स्व–निर्मित प्रजाति होती है, अतः हाइब्रिड बीज की वैरायटियाँ प्रोपराइटरी आइटम की श्रेणी में आती हैं। इस तथ्य पर समिति ने भी सहमति व्यक्त की।

12.3 उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, समिति ने यह स्पष्ट किया कि सभी उत्पादकों के हाइब्रिड बीज की वैरायटियाँ प्रोपराइटरी आइटम के अंतर्गत आती हैं, इसलिए आरसीओ की कंडिका 22 में उल्लिखित एल–1+15 प्रतिशत की शर्त का वैरायटीवार हाइब्रिड बीजों पर लागू करना व्यवहारिक नहीं होगा। अतः समिति ने इस शर्त को लागू नहीं करने की अनुशंसा की है।

12.4 इसके अतिरिक्त, 'तकनीकी प्रस्ताव मूल्यांकन समिति' द्वारा ऑफरकर्ताओं के ऑनलाइन वित्तीय प्रस्तावों का समग्र मूल्यांकन किया गया। सदस्य सचिव ने प्राप्त दरों का कम्प्यूटर जनित तुलनात्मक पत्रक समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् यह मूल्यांकन 'वित्तीय प्रस्ताव मूल्यांकन एवं विश्लेषण समिति' को प्रस्तुत किया गया। समिति ने सभी परीक्षणों और विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित प्रभावी एवं व्यवहारिक अनुशंसाएँ प्रस्तावित की हैं :–

अ. ऐसे ऑफरकर्ता जिनकी बीज प्रजातियों की गत वर्ष की दरें अनुमोदित है और ऑफर में प्रस्तुत की गई दरों की जानकारी का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :–

ऑफरकर्ता का नाम	बीज	प्रजाति	प्राप्त दरें प्रति किलोग्राम में	गत वर्ष 2023–24 की अनुमोदित दर	वृद्धि का प्रतिशत	प्रति किलोग्राम मे का प्रति प्रस्ताव दर
ARUNA SEEDS	TOMATO	SHIVAJI	57000.00	46856.04	21.65	38350.00
	TOMATO	VAISHNAVI	58000.00	47246.51	22.76	38350.00
	TOMATO	ABHIMANYU	58000.00	47246.51	22.76	38350.00
	BOTTLE GUARD	SUNAND	6100.00	3797.34	60.64	2795.10
	BOTTLE GUARD	112.000	6100.00	3797.34	60.64	2795.10
	SPONGE GOURD	SG101	6100.00	3484.56	75.06	3484.56
	SPONGE GOURD	PRIYA	6100.00	3484.56	75.06	3484.56
	CHILLY	ALANKAR	54000.00	42458.90	27.18	37268.00
	CHILLY	NATASHA	53500.00	42458.90	26.00	37268.00
	CHILLY	PRAJWALA	58000.00	42108.00	37.74	37268.00
	CHILLY	MADHURIMA-148	56000.00	38599.00	45.08	37268.00

ऑफरकर्ता का नाम	बीज	प्रजाति	प्राप्त दरें प्रति किलोग्राम में	गत वर्ष की अनुमोदित दर	वृद्धि का प्रतिशत	समिति की अनुशंसा प्रति किलोग्राम मे का प्रति प्रस्ताव दर
		148				
SEEDWORKS INTERNATIONAL LTD	TOMATO	SW1501	45000.00	39204.00	14.78	38350.00
	TOMATO	SW1574	46200.00	39204.00	17.85	38350.00
	TOMATO	SW1596	44300.00	39204.00	13.00	38350.00
	CHILLY	SW402	40800.00	37268.00	9.48	37268.00
	CHILLY	SW405	39600.00	37268.00	6.26	37268.00
	CHILLY	SW406	41000.00	37268.00	10.01	37268.00
	CHILLY	SW409	40100.00	37268.00	7.60	37268.00
ROXHARTD AGRI ORGANIC	TOMATO	MHTM401	58000.00	39530.70	46.72	38350.00
	TOMATO	MHTM301	58000.00	40994.80	41.48	38350.00
	TOMATO	MHTM256-SUPARNA	58200.00	39530.70	47.23	38350.00
	BITTER GOURD	MAHY101(MBTH-101)	9000.00	3045.33	195.53	3045.33
	OKRA	NO10	2400.00	1189.91	101.70	1038.18
	OKRA	NO12	2200.00	1038.18	111.91	1038.18
	CHILLY	MHCP318-TANAYA	56000.00	40994.80	36.60	37268.00
	CHILLY	MHCP307-VAISHNAVI	56500.00	40656.00	38.97	37268.00
	CHILLY	MHCP317-SIERRA	55600.00	40656.00	36.76	37268.00
	PUMPKIN	MPH-1	12500.00	4233.91	195.24	4233.91
	BRINJAL	MAHYHARI (MHBJ-115)	19500.00	11883.41	64.09	11883.41
	BOTTLE GUARD	MHBG10	8000.00	3423.60 (22-23)	133.67	2795.10
	SPONGE GOURD	HARITA (MSGH-6)	6800.00	3167.78 (22-23)	114.66	3484.56
MARKFIELD HYBRID SEEDS PVT. LTD.	TOMATO	VISHAL SUPER F1	53000.00	47246.51	12.18	38350.00
	TOMATO	VISHWAS F1	53000.00	47246.51	12.18	38350.00
	TOMATO	MANAS F1	53000.00	47246.51	12.18	38350.00
	TOMATO	GAJRAJ F1	53000.00	47246.51	12.18	38350.00
	BOTTLE GUARD	RAM F1	4000.00	2795.10	43.11	2795.10
	BOTTLE GUARD	KIRTI F1	4000.00	2795.10	43.11	2795.10
	BOTTLE GUARD	VILAS F1	4000.00	2795.10	43.11	2795.10
	BOTTLE GUARD	MARSHAL F1	4000.00	2795.10	43.11	2795.10
	SPONGE GOURD	SHLOK F1	4000.00	3484.56	14.79	3484.56
	SPONGE GOURD	ALKA F1	4000.00	3484.56	14.79	3484.56
	SPONGE GOURD	KRISHNA F1	4000.00	3484.56	14.79	3484.56
	SPONGE GOURD	AMRITA F1	4000.00	3484.56	14.79	3484.56
	CHILLY	VAISHALI - 9 F1	48000.00	42458.90	13.05	37268.00
	CHILLY	LONG MONTORY F1	48000.00	42458.90	13.05	37268.00
	CHILLY	REVATI SUPER F1	48000.00	42458.90	13.05	37268.00
	CHILLY	KRANTI SUPER F1	48000.00	42458.90	13.05	37268.00
	BRINJAL	SUMIT F1	15000.00	13071.75	14.75	11883.41
	BRINJAL	JAMVANT F1	15000.00	13071.75	14.75	11883.41
	BRINJAL	HARSHAL F1	15000.00	13071.75	14.75	11883.41
	BRINJAL	MANJUSHA F1	15000.00	13071.75	14.75	11883.41
	BRINJAL	MOHIT F1	15000.00	13071.75	14.75	11883.41
ARUNA ENTERPRISES	WATER MELON	APOORVA	16000.00	10478.96	52.69	9982.50
	CAULI FLOWER	BARKHA	72000.00	No rates	---	Not recommended
	CAULI FLOWER	MEGHA	71000.00	No rates	---	Not recommended
	WATER MELON	SUGARPACK	14000.00	9982.50	46.96	9982.50

अपलोड (कुछ वैरायटियों को छोड़कर) हैं और वर्ष 2025–26 के लिए वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप चयन एवं प्रदायगी की प्रक्रिया पहले से ही पोर्टल पर जारी है।

- पोर्टल की तकनीकी और प्रक्रियात्मक प्रणाली के अनुसार, एक बार दरें पोर्टल पर अपलोड होने के बाद किसानों द्वारा उन्हीं दरों के आधार पर चयन किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान दरों में बदलाव से चयन एवं प्रदायगी प्रक्रिया प्रभावित होगी तथा किसानों एवं आपूर्तिकर्ताओं के हितों को हानि पहुँचेगी।
- जिन ऑफरकर्ताओं ने वर्तमान RCO में दरें प्रस्तुत की हैं, वे अभी भी गत वर्ष की दरों पर सफलतापूर्वक बीज आपूर्ति कर रही हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि गत वर्ष की दरों पर व्यवसायिक कठिनाई नहीं है।

ब. **ऐसे ऑफरकर्ता जिनकी बीज प्रजातियों की दरें गत में अनुमोदित नहीं है, के समक्ष गत वर्षो में समान बीज की अनुमोदित न्यूनतम दर के आधार पर तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :–**

ऑफरकर्ता का नाम	बीज	प्रजाति	प्राप्त दरें प्रति किलोग्राम में	गत वर्ष की समान बीज की न्यूनतम अनुमोदित दर	समिति की अनुशंसा प्रति किलोग्राम मे प्रति प्रस्ताव दर
SEEDWORKS INTERNATIONAL LTD	TOMATO	SW1502	95000.00	38350.00	38350.00
	TOMATO	SW1503	95000.00	38350.00	38350.00
	CHILLY (Hot Pepper)	SW434	40200.00	37268.00	37268.00
MARKFIELD HYBRID SEEDS PVT. LTD.	OKRA	ROHINI F1	3200.00	1038.18	1038.18
	OKRA	JULIE F1	3200.00	1038.18	1038.18
	OKRA	ABHA F1	3200.00	1038.18	1038.18
	OKRA	TAPASYA F1	3200.00	1038.18	1038.18
SURAJ CROPSCIENCES LTD.	TOMATO	SURAJ MAHESH SCTH-1455	85000.00	38350.00	38350.00
	BITTER GOURD	SURAJ PRAKASH SCBH-1323	20200.00	3045.31	3045.33
	SPONGE GOURD	SURAJ NEELAM SCSH-1171	11000.00	3484.56	3484.56
	OKRA	SURAJ DIVYA SCOH-1017	9500.00	1038.18	1038.18
	CHILLY	SURAJ HANGAMA SCMH-1401	58000.00	37268.00	37268.00
	BRINJAL	SURAJ DIVYA SCBH-1551	70200.00	11883.41	11883.41
	WATER MELON	SURAJ THAUNDER SCWH-1504	50500.00	9982.50	9982.50
SONA GENETICS PRIVATE LIMITED	TOMATO	SONA 505	69850.00	38350.00	38350.00
	BOTTLE GUARD	SONA LONG	5150.00	2795.10	2795.10
	SPONGE GOURD	SONA DARK	7100.00	3484.56	3484.56
	OKRA	SONA NEELAM	5350.00	1038.18	1038.18
	CHILLY	SONA TEJ	49850.00	37268.00	37268.00
	BRINJAL	SONA 600	14950.00	11883.41	11883.41
BAPNA SEEDS PRIVATE LIMITED	TOMATO	BSHT-10(Amol)	38500.00	38350.00	38350.00
	BITTER GOURD	BHBT-24 (Krishna)	8200.00	3045.33	3045.33
	OKRA	BSHO-17 (Amoli)	2550.00	1038.18	1038.18
	CHILLY	BSCH-333 (Chitra)	37000.00	37268.00	37268.00

	CHILLY	BSCH-333 (Chitra)	37000.00	37268.00	37268.00
ऑफरकर्ता का नाम	बीज	प्रजाति	प्राप्त दरें प्रति किलोग्राम में	गत वर्ष की समान बीज की न्यूनतम अनुमोदित दर	समिति की अनुशंसा प्रति किलोग्राम मे प्रति प्रस्ताव दर
ARUNA ENTERPRISES	TOMATO	AGASTYA	56000.00	38350.00	38350.00
	TOMATO	ABHIRAAJ	58000.00	38350.00	38350.00
	TOMATO	ADITYA	56000.00	38350.00	38350.00
	CHILLY	GOLDEN HOT	58000.00	37268.00	37268.00
	CHILLY	SVHA9093	54500.00	37268.00	37268.00
	CHILLY	SVHM1377	55000.00	37268.00	37268.00
	CHILLY	RED SPICE	55000.00	37268.00	37268.00
	CHILLY	SHP4884	53000.00	37268.00	37268.00
	WATER MELON	SV5061WL	18000.00	9982.50	9982.50

स. निम्नानुसार ऑफर की गई बीज की दरें प्रथम बार आरसीओ में आई है, जिससे दर का तुलनात्मक विवरण नहीं किया जा सका, अतः समिति प्राप्त दर को अमान्य किये जाने की अनुशंसा करती हैं :–

ऑफरकर्ता का नाम	बीज	प्रजाति	प्राप्त दरें प्रति किलोग्राम में	समिति की अनुशंसा
SURAJ CROPSCIENCES LTD.	RADISH	SURAJ GLORY SCRH-1022	10500.00	प्राप्त दर अमान्य किया जाए
	RIDGE GOURD (TORAI)	SURAJ ABHAY SCTH-1151	8000.00	

श्री एस.के. विधान
महाप्रबंधक, एम.पी.एग्रो

डॉ. एम यसीन
अधिष्ठाता, आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय सीहोर

के.पी. नागिया
वित्त नियंत्रक, एम.पी.एग्रो

मनोज जैन
प्रबंधक, विधि, एम.पी.एग्रो

डॉ. राहुल बनसोड
प्रबंधक, उद्यानिकी, एम.पी.एग्रो

(अनुपस्थित)
जे.पी. कोल्हेकर
उप संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण

अशोक मिश्रा
वरि.ग्रा.उ.वि.अधि., उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण

दीनानाथ घोटे
वरि.ग्रा.उ.वि.अधि., उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण

बुशरा खान
चार्टर्ड एकाण्टेन्ट, एम.पी.एग्रो